

Topic- कौटिल्य (राज्य की उत्पत्ति)

अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति की चर्चा की है। उन्होंने यह विमर्श प्रत्यक्ष रूप से नहीं करके बल्कि दो गुप्तचरों के माध्यम से किया है। प्रथम गुप्तचर राजा के दौरे की चर्चा करता है जिसके उत्तर में दूसरा गुप्तचर राजा से प्रश्न होने वाले लोगों की चर्चा करता है। इस प्रकार वाद-विवाद के माध्यम से वे राज्य की उत्पत्ति, राज्य के दिने जाने वाले कर्तव्य तथा राजा के प्रति आज्ञाकारिता आदि विषयों की चर्चा करते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कौटिल्य का मत इस विषय पर 'महान्मरुत' तथा 'मनुस्मृति' में वर्णित विचारों से काफी सीमा तक समान है। कौटिल्य के अनुसार आदिमकाल में कोई राजा नहीं था अर्थात् सकार में 'मत्स्यनाम' की ही स्थिति थी। इस अवस्था में 'शक्ति ही अधिकार है' का सिद्धान्त लागू था, जिससे बड़ी मढ़ली छोटी मढ़ली का निर्गमन जानी थी। इस अराजक अवस्था से निरकलन के लिए लोगों ने वैवस्वत मनु को अपना राजा चुना। उन्होंने राजा द्वारा दो गुरन वाली कुला तथा कल्याण सम्बन्धी कर्तव्यों के

बदले में अपनी उपज का दठा भाग तथा
 त्याग में हुए लाभ तथा स्वर्ण का दसवां
 भाग कर के रूप में देना स्वीकार किया।
 यद्यत्क कि वनिपत्य आश्रम में जीवन
 व्यतीत कर रहे लोगों ने भी राजा को
 अपने हितों की उपज का दठा भाग
 कर के रूप में देने की बात स्वीकार
 कर ली। यह एक प्रकार का सामाजिक
 अनुबंध था।

कोटिल्य के अनुसार नव्यौषि यह
 अनुबंध जनता और राजा के बीच हुआ था।
 अतः दोनों में से जो इसका उल्लंघन करेगा
 वह अनुबंध तोड़ने का दोषी होगा।
 इसके अतिरिक्त कोटिल्य ने राजा की
 जनता का सेवक कहा है जिसका मरण-
 पौषण जनता द्वारा दिये गये व्यय से
 होता है। इस बात की चर्चा कोटिल्य
 ने अर्थशास्त्र में एक अन्य स्थान
 (अध्याय 10, अध्याय 3, श्लोक 27) में भी
 की है जब राजा युद्ध से पूर्व अपने
 सैनिकों को सम्बोधित करते हुए कहता
 है " मैं भी तुम्हारी तरह ही अपनी
 सेवा के बदले पारिश्रमिक प्राप्त
 करता हूँ।" इस प्रकार कोटिल्य का
 सामाजिक अनुबंध अंग्रेज विचारक जॉन
 लॉक के सिद्धान्त के बहुत कुछ समान है।

Khanabha Kumari
 19th Sept. 2020